न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 16/553

1. नन्दकिशोर पुत्र सूरज्या जाति धाकड निवासी तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. दौलत राम पुत्र सूरज्या जाति धाकड निवासी तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. विजयशंकर पुत्र सूरज्या जाति धाकड निवासी तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शिवजी उर्फ शिवकरण पुत्र औंकार जाति धाकड निवासी तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. नन्दकिशोर पुत्र औंकार जाति धाकड निवासी तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. बलराम पुत्र औंकार जाति धाकड निवीस तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमाकान्त लोहिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 13.08.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 क एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 02 की कुल रकबा 1.36 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादीगण बहैसियत कृषक काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त अपने पूर्वजों के समय से 70–80 वर्षों से अधिक समय से पूर्व से ही निर्बाध रूप से निरन्तर चला आ रहा है जिसका लगान कर्ता पिलाई वादी व उसके पूर्वज ही राज्य को अदा करते चले आ रहे है। । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त नहीं रहा है । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का पिछले 70–80 वर्षो से कब्जा नहीं होने से उनका उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों को अवसान हो चुका है । वादीगण को अधिकार है कि वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे, उक्त भूमि से ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल नहीं करे और न ही उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 से 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् दिनांक 29.09.2016 को प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी वास्ते रेसजूडीकेटा के आधार पर वाद खारिज किये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद अन्तर्गत धारा 183ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था । जिसका माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयुपर द्वारा अंतिम निर्णय दिनांक 12.08.2015 को हो चुका है जिसमें उप जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.1995 को बहाल रखा गया है और निर्देशित किया गया है कि वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे और प्रतिवादी को कब्जा सुपुर्द किया जावे । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को रेसजूडीकेटा में आने के कारण खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.10.2016 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.10.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ ने बिना विधिक प्रकिया के वाद निरस्त करने में भारी त्रुटि की है । वाद प्रस्तुत करने तथा जवाब दावा पेश होने के पश्चात् बिना तनकी बनाये तथा बिना शहादत के वाद का निर्णय नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकी के रेसजूडीकेटा के प्रार्थना पत्र पर वाद निरस्त करने में भारी त्रुटि की है । पूर्व के निर्णित वाद व इस वाद के वाद–विषयक अलग–अलग हैं तथा रेसजूडीकेटा के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

8. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा का वाद पेश किया था। पत्रावली तलवी में लम्बित थी इसी बीच रेस्पोडेन्ट के द्वारा धारा 11 सीपीसी के तहत एक

प्रार्थना पत्र पेश किया । इस प्रार्थना पत्र को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णित कर दावा खारिज किया है जबकि धारा 11 सीपीसी के तहत दावे को रेसजूडीकेटा से बाधित माना जाता है तो इसके आधार पर जवाबदावा प्राप्त करने के उपरान्त तनकीयात कायम कर रेसजूडीकेटा पर तनकी कायम की जा सकती है । सीधे ही प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में जो दावा चला था उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है । इसके उपरान्त पुनः कब्जे के आधार पर दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण तलबी में लम्बित था और उसमें तलबी हेतु दिनांक 16.11.2016 तिथि नियत की थी । पत्रावली पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया जवाबदावा दिनांक 29.09.2016 भी संलग्न है यद्यपि आदेशिका पर इसके बाबत् कुछ भी अंकित नहीं किया गया है । एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई एवं धारा 11 सीपीसी का दिनांक 29.09.2016 पेश किया गया है जो पत्रावली में संलग्न है । दिनांक 03.10.2016 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार इस प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दी गई थी और प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 20.10.2016 की तिथि नियत की गई थी । दिनांक 20.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

12. वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जो दावा पेश किया है वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का है । जवाबदावा जो पत्रावली पर संलग्न है उसमें मुख्य रूप से यह कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.08.2015 को प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली का निर्णय पारित किया है । इस निर्णय में उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.1995 को यथावत रखा गया है । राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.1996 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.1998 को खारिज किया गया है । ऐसी स्थिति में नया दावा धारा 11 सीपीसी के तहत रेसजूडीकेटा से बाधित है । यद्यपि इस प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व में पेश किये गये दावे एवं जवाबदावे की प्रति संलग्न नहीं की गई है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की जो प्रति पत्रावली में संलग्न है, उसमें वादीगण भी पक्षकार हैं और यह निर्णय दिनांक 12.08.2015 को पारित किया गया है । वादीगण के द्वारा दिनांक 11.12.2015 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यह नया दावा पेश किया है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला भी नहीं दिया गया है । इस प्रकार वादीगण क्लीन हैण्ड्स (Clean hands) के साथ न्यायालय में नहीं आए हैं । जो व्यक्ति न्यायालय में क्लीन हैण्ड के साथ नहीं आता है वह न्यायालय से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया, जबकि माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित

किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट वादी के द्वारा पेश किया गया दावा विधिक रूप से मेन्टेनेबल नहीं है । यद्यपि अधीनस्थ ने धारा 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निरस्तारण करते हुए दावा खारिज किया है । अपीलान्ट की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि धारा 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर सीधे ही दावा खारिज नहीं किया जा सकता था । दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2015 के अनुसार प्रतिवादीगण के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 15.03.1995 को यथावत रख कर बेदखली का आदेश पारित किया है जिसे वादी ने अपने वाद में छुपाया है । साथ ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम इस प्रकरण में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2016 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.8.18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा